अनुसूची–१४ –फारम सं0 ५१२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२९)

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा।

आपूर्ति अपील सं0– 06/2013

चंचला देवी

बनाम

सरकार (मार्फत अनु0 पदा,मढौरा, सारण)

आदेश का क्रम–संख्या और तारीख।	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर।	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में पेशी, तारीख–सहित
10.04.2015	यह वाद अनुमंडल पदाधिकारी,मढौरा के आदेश ज्ञापांक 48/गो0, दिनांक 10.01.2013 के विरूद्ध दाखिल है। उक्त वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि दिनांक 22.11.2012 को 01:00 बजे अपराह्न चंचला देवी, ज0वि0प्र0वि, अनु सं0–128/2007, नगर पंचायत– मढौरा वार्ड न0–11,प्रखंड–मढौरा की दूकान की जांच अनुमंडल पदाधिकारी, मढौरा एवं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, मढौरा के द्वारा की गई। जांच के कम में निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई– (1) निरीक्षण के समय वितरण अवधि में दूकान बंद पाया गया एवं जन वितरण विक्रेता दुकान से अनुपस्थित थी। (2) दुकान से संबंधित सूचना पट्ट एवं मूल्य तालिका प्रदर्शन पट्ट सामुचित रूप से संधारित नही था। (3) विक्रेता के अनुपस्थिति के कारण स्टॉक पंजी/ वितरण पंजी इत्यादि की जॉच नही की जा सकी तथा मांगने पर भी विक्रेता के धर के अन्य सदस्यों द्वारा उक्त कागजात जॉच हेतु प्रस्तुत नही किया गया। (4) विक्रेता के दुकान से संबंधित ईशा नट, पिता–दौलत नट विक्रमा राय, पिता–देवलाल राय, बिपिन सिंह, पिता–जर्नादन सिंह एवं अन्य 11 उपभोक्ताओं द्वारा बयान दिया गया कि किरासन तेल 2:00लिटर 18 रूपया दर से एंव बी0पी0एल0 का खाद्यान्न 22 किलो ग्राम 145.00 रू0 में खाद्यान्न/ किरासन तेल की आपूर्ति की जाती है।	

उक्त अनिमितताओं के लिए अनुमंडल पदाधिकारी सह अनुज्ञापन पदाधिकारी, मढौरा के ज्ञापांक 1769/गो0 दिनांक 27.11.2012 के द्वारा विकेता से कारण-पृच्छा किया गया जिसके प्रसंग में विकेता के द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत किया गया। विकेता से प्राप्त जवाब को असंतोषजनक पाकर विकेता की अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया, जिसके विरूद्ध यह अपील वाद लाया गया है।

अपीलार्थी अपने विज्ञ अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। सुनवाई की गई। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि विकेता माह अक्टूबर का खाद्यान्न वितरण कर खाद्यान्न का कूपन ससमय जमा कराने हेतु अनुमंडल कार्यालय मढौरा गए हुए थे। विकेता के पति का एक बटवारा वाद अपने पटीदार के साथ चलता है, जिनके द्वारा विकेता को परेशान करने की नियत से सूचना पट्ट मिटवा दिया गया था। विकेता के पति भारतीय जीवन बिमा निगम के अभिकर्ता है, जो धर पर मौजूद नही थे, और बच्चे भी विधालय गये हुए था। शिकायत कर्ता ईशा नट, पिता-दौलत नट विकेता की दूकान के उपभोक्ता नही है। शिकायत कर्ता विक्रमा राय, पिता-देवलाल राय विकेता की दूकान के उपभोक्ता है, जिनके द्वारा विकेता के पक्ष में शपत पत्र दिया गया है। अन्य शिकायत कर्ता विपिन सिंह, पिता-जर्नादन सिंह विकेता की दूकान के उपभोक्ता है जिनके द्वारा विकेता के पक्ष में शपत पत्र दिया गया है। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अनुरोध किया गया कि प्राकृतिक न्याय की दृष्टि से विकेता के अपील आवेदन को स्वीकृत करने की कृपा की जाए।

विज्ञ सरकारी अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि अपीलकर्ता के द्वारा विभागीय दिशा निदेश के आलोक में अनियमतता बरती गई है। अतः अपीलार्थी के आवेदन को अस्वीकृत करना उचित प्रतीत होता है।

उक्त पक्षों को सुनने एवं अभिलेख में रक्षित कागजातों के परिसीलन के उपरान्त मै इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा निर्गत प्रश्नगत आदेश (ज्ञापांक 48/गो0, दिनांक 10.01.2013) में अंकित किया गया है कि विकेता से प्राप्त कागजातों की जांच के कम में विकेता के विरूद्ध कई गंभीर अनियमतताए पाई गई, जिसे आधार बनाकर यह आदेश पारित किया गया। प्राकृतिक न्याय की दृष्टि से यह आवश्यक था कि इन अनियमतताओं के संबंध में विकेता से पूरक कारण पृच्छा किया जाता एवं प्राप्त जवाब के आलोक में आवश्यक कार्रवाई की जाती, लेकिन अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा ऐसा नहीं किया गया। अभिलेख में 14 उपभोक्ताओं के द्वारा विकेता के विरूद्ध शिकायत की गई है,

लेकिन उनसे प्राप्त बयान की प्रति विक्रेता को उपलब्ध नही कराई गई, और न ही उन सबों का नाम एवं उनके द्वारा लगाए गए आरोपों का उल्लेख कारण पृच्छा में किया गया। अतः अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश को Set aside करते हुए इस निदेश के साथ अभिलेख को Remand किया जाता है कि विक्रेता को उपभोक्ताओं से प्राप्त बयान की प्रति कराते हुए उनसे पुनः सभी प्रासंगिक बिन्दुओ पर कारण पृच्छा किया जाए, उन्हे सुनवाई का एक मौका दिया जाए, एवं प्राप्त जवाब के आलोक में अभिलेख प्राप्ति के चार सप्ताह के अंदर एक विधिसम्मत मुखर आदेश पारित करना सुनिश्चित किया जाए।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं संशोधित

30/04/15

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

30/04/15

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 291 /न्यायालय, दिनांक 02/05/15

प्रतिलिपि – SDO, मढ़ौरा को अभिलेख मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि – DIO, NIC, सारण को उक्त आदेश इस जिले के website पर upload करने हेतु प्रेषित।

वरीय उप समाहर्त्ता
जिला विधि शाखा, सारण

2/5/15